



2026:AHC:128979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20094 सन् 2026

संतोष उर्फ कैलाश अहिरवार

..... आवेदक गण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : रमेश कुमार

विपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 40 वर्ष 2026, धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4, थाना जखलौन, जनपद ललितपुर में पंजीकृत अभियोग में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का श्वसुर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सामान्य एवं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्पष्ट प्रकृति के हैं तथा उसमें दहेज की किसी विशिष्ट माँग का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक पंचायतनामा की कार्यवाही के समय उपस्थित था तथा उसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। आवेदक के ही अनुरोध पर मृतका का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "जीवनकालीन फाँसी के कारण उत्पन्न श्वासावरोध" अंकित किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 02.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त की कथित संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का प्रथमदृष्टया आधार स्थापित कर दिया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में निरुद्ध आवेदक- **संतोष उर्फ कैलाश अहिरवार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध का न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें किसी प्रकार से भाग लेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष वास्तविक तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो।

(iii) आवेदक एक लिखित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 229-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 (समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा (1) वाद के शुरू होने के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, तथा (3) दण्ड

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351) के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. यदि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो वह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई सभी टिप्पणियाँ केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर न्यायालय की राय या निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से पूर्णतः अप्रभावित रहते हुए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

दिनांक : 24 जून, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।